अपील सूचना अधिकार संख्या 50/2020 (RCMS 2020/00086) सुशील कुमार सतीजा, सह सम्पादक, दैनिक राष्ट्रीय छवि समाचार पत्र, निवासी 3/63 हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 98290–76412) बनाम लो.सू.अ. एवं जिला कोषाधिकारी श्रीगंगानगर

21.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुशील कुमार स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2019 एवं 23.01.2020 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उसको उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुशील कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> मेरे द्वारा दिनांक 16.07.2019 को सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना मांगी गई थी, जिसकी सूचना अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस संबंध में मुझे कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर का एक पत्र क्रमांक कोष/गंगा/स्था./आरटीआई /116–17 दिनांक 24.07.2019 मिला, जिसकी कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न है। यह पत्र उन्होनें संजीवनी मेडिकल स्टोर को प्रेषित कर उससे पूछा गया कि सूचना के अधिकार के तहत किसी व्यक्तिगत की जानकारी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। इस पत्र से जाहिर होता है कि कोषाधिकारी भी इस मामले को छिपाना चाहते है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। हमें अपुष्ट सूत्रों से जानकारी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मिली कि होलसेल भंडार द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर द्वारा सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के नाम पर फर्जी मेडिकल बिल का लाखों रूपए का भुगतान उठाया गया है। जिससे राज्य सरकार को काफी हानि पहुंचाई जा रही है। इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने व सच जानके के लिए हमने यह जानकारी चाही है। आरटीआई एक्ट के अनुसार भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने व सच जानने के लिए हमने यह जानकारी चाही है। आरटीआई एक्ट के अनुसार भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी सूचना को छिपाया नहीं जा सकता, उसे देना अनिवार्य है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया मुझे सूचना एवं अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि सच सामने आ सके। यह जानकारी जनहित में मांगी गई है।

जिला कोषाधिकारी,श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक कोष/गंगा/आरटीआई/378 दिनांक 19.03.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया हैः

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री सुशील कुमार सतीजा द्वारा चाही गई सूचना होल सेल भण्डार, श्रीगंगानगर के अधीन संचालित मेडिकल शॉप मैसर्स संजीवनी मेडिकल स्टोर, पुराना हॉस्पीटल कैम्पस, श्रीगंगानगर से संबंधित थी। आपके कार्यालय पत्रांक आरटीआई/05/2019/624 दिनांक 16.07.2019 के संदर्भ में संजीवनी मेडिकल स्टोर, श्रीगंगानगर को कार्यालय पत्रांक कोष/गंगा/स्था/आरटीआई/115 दिनांक 24.07.2019 के द्वारा सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के लिए लिखा गया था।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

संजीवनी मेडिकल स्टोर, श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. श्रीगंगानगरने अपने पत्र क्रमांक दिनांक 19.03.2020 के द्वारा राज्य सूचना आयोग जयपुर के निर्णय संख्या 1914/2105 की प्रति प्रेषित करते हुए अवगत करवाया है कि उनकी संस्था श्रीगंगागनर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं है। इस कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है। (पत्र व निर्णय की प्रति संलग्न है।)

सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

कोषाधिकरी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सहकारी संस्था से संबंधित है और राज्य सूचना आयोग, जयपुर की अपील संख्या 1914/2015 अनवान् राधेश्याम गोयल बनाम व्यस्थापक, होल सेल भण्डार, श्रीगंगानगर में पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 के अनुसार सहकारी संस्था लोक प्राधिकरण की परिभाषा में नहीं आता है और न ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत व्यवस्थापक, होल सेल भण्डार, श्रीगंगानगर **द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत है। इसलिए अपील के गुण दोष पर विचार नहीं किया जा सकता।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर